प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री एल.सी. भादू, न्यायधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 73/2003

भरत सिंह एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील क्र. 251/2005

भोलानाथ उर्फ़ मोताली व अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु निर्णय

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति एल.सी. भादू

मैं सहमत हूँ।

सही/-

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध दिनांक: .10.2007

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

<u>दांडिक अपील क्र. 73/2003</u>

1. भरत सिंह, पिता मोहन सिंह, उम्र 20 वर्ष,
2. टी. जगन्नाथ उर्फ जग्गा पिता टी. कामय्या नायडू, उम्र 22 वर्ष,

उपरोक्त दोनों अपीलकर्ता निवासी–सेंचुरी सीमेंट, बैकुंठ, जिला रायपुर (छ.ग.)

...अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)

...प्रत्यर्थी

<u>दांडिक अपील क्र. 251/2003</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. भोलानाथ उर्फ मोटाली, पिता दुखुराम ध्रुव, उम्र 19 वर्ष,
2. शंकर लाल, पिता पुरुषोत्तम ध्रुव, उम्र 22 वर्ष

उपरोक्त दोनों अपीलकर्ता निवासी–सेंचुरी सीमेंट, बैकुंठ, जिला रायपुर (छ.ग.)

...अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)

...प्रत्यर्थी

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील</u>

उपस्थित:

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता – श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी और श्री एस.सी. वर्मा

राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री रविन्द्र अग्रवाल।

युगलपीठ : माननीय श्री एल.सी. भादू, न्यायधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

निर्णय

(23/10/2007)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय उद्घोषित किया गया :–

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश के अनुसार

(1) रायपुर के नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) ने सत्र परीक्षण क्रमांक 402/2000 में दिनांक 28–12–2002 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को सिद्धदोष पाया गया और दण्डादेश दिया गया। सभी अपीलकर्ताओं को आई.पी.सी. की धारा 302/34 के तहत सिद्धदोष पाया गया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, अपीलकर्ता भरत, शंकर और टी. जगन्नाथ उर्फ जग्गा को भी आई.पी.सी. की धारा 323 के तहत सिद्धदोष पाया गया गया और छह महीने के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही सजा को साथ–साथ चलाने का निर्देश दिया गया। अपीलकर्ताओं पर हरेंद्रपाल की हत्या करने के लिए आई.पी.सी. की धारा 302/34 के तहत आरोप लगाए गए थे। उन पर बालकिशन (अ.सा.–16) की हत्या कारित करने का प्रयास करने के लिए आई.पी.सी. की धारा 307 के तहत भी आरोप लगाए गए थे। शंकर और टी. जगन्नाथ उर्फ जग्गा पर तारा देवी (अ.सा.–15) को साधारण चोटें पहुंचाने के लिए आई.पी.सी. की धारा 323 के तहत भी आरोप लगाए गए थे।

(2) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 28–8–2000 को लगभग 10:30 बजे रात में तारा बाई (अ.सा.15) ने मिशन अस्पताल, तिल्दा में ए.एस.आई. राम कुमार वैष्णव (अ.सा.12) को *देहाती नालिशी* (प्रदर्श पी/19) दी, जिसमें कहा गया कि 28–8–2000 को लगभग 9 बजे वे अपने घर में सो रहे थे। लगभग 10:30 बजे उन्होंने अपने बड़े बेटे हरेंद्र (अब मृत) के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब वह अपने पति और बेटी कविता के साथ घर से बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि हरेंद्र को शंकर गोंड, जग्गा तेलुगु, मोटाली उर्फ भोला गोंड और भरत ठाकुर पीट रहे थे। वे उसे फावड़े, लकड़ी के डंडे और पत्थरों से पीट रहे थे। जब उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो अपीलकर्ताओं ने उन पर (तारा बाई) और उनके पति बालकिशन पर भी हमला किया। तत्पश्चात, *देहाती मर्ग* सूचना, प्रदर्श पी/20 दर्ज

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की गई, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/21 दर्ज की गई। हरेन्द्रपाल की मृत्यु की सूचना भी प्रदर्श पी/22 के तहत दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी ने प्रदर्श पी/25 के तहत *पंचों* को सूचना दी, प्रदर्श पी/26 के तहत मृतक के शरीर पर मृत्यु समीक्षा तैयार की। घटनास्थल से सादी मिट्टी, खून से सनी मिट्टी के साथ पीतल की चेन का एक टुकड़ा, एक लोहे की चेन और खून से सना एक पत्थर प्रदर्श पी/26 के तहत जब्त किया गया। ए.एस.आई सत्येन्द्र पांडे (अ.सा.18) द्वारा प्रदर्श पी/7 के तहत स्थल योजना तैयार किया गया था। पटवारी द्वारा प्रदर्श पी/13 के तहत एक और स्थल योजना तैयार किया गया था। बालकिशन का मृत्युपूर्व बयान प्रदर्श पी/12 के तहत दर्ज किया गया था। आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद, आरोपी शंकर का ज्ञापन प्रदर्श पी/1 के तहत दर्ज किया गया आरोपी टी. जगन्नाथ का ज्ञापन प्रदर्श पी/3 के तहत दर्ज किया गया था जिसके आधार पर प्रदर्श पी/4 के तहत एक फावड़ा और उसका टूटा हुआ लकड़ी का हत्था (प्रदर्श पी/2) जब्त किया गया था, अभियुक्त जगन्नाथ का ज्ञापन कथन (प्रदर्श पी/3) दर्ज किया गया, जिसके आधार पर डंडा (प्रदर्श पी/4) जब्त किया गया था। भोलानाथ उर्फ मोताली का ज्ञापन (प्रदर्श पी/5) के तहत दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर प्रदर्श पी/6 के तहत एक और डंडा जब्त किया गया था। जब्त वस्तुओं को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रायपुर भेजा गया था, जहां से प्रदर्श पी/38 रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार, सादे मिट्टी के दो नमूनों और फावड़े का लकड़ी का हत्था, अर्थात् सामग्री बी, डी एवं आई को छोड़कर लगभग हर वस्तु पर खून पाया गया था। बालकिशन प्रदर्श पी/32 का बेड-हेड टिकट जब्त कर किया गया। अग्रसेन अस्पताल, रायपुर से उनकी परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 10-10-2000 (प्रदर्श पी/35) एकत्र की गई थी। उसी अस्पताल की दिनांक 10-10-2000 की उनकी एक्स-रे रिपोर्ट भी प्रदर्श पी/36 के जरिए एकत्र की गई थी, जिसके अनुसार उनके बाएं कंधे ही हड्डी और बाएं कलाई में फ्रैक्चर थी। उनकी अन्य एक्स-रे रिपोर्ट दिनांक 6-11-2000 (प्रदर्श पी/37) भी ली गई, जिसके अनुसार, उनकी दाहिनी ओर की 2-5 पसलियां टूटी हुई थीं। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तिल्दा में प्रदर्श पी/14 के तहत भेजा गया। पोस्टमार्टम डॉ. ए.ए. सिद्दीकी (अ.सा.20) ने किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/34 तैयार की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित बाहरी चोटों का उल्लेख किया:

(i) एक विदीर्ण घाव, 3 सेमी × 1 सेमी × हड्डी तक गहरा, दाएँ कान से 12cm ऊपर स्थित;

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ii) एक विदीर्ण घाव, 5 सेमी × 1 सेमी × हड्डी तक गहरा, जो मस्तक की खोपड़ी पर स्थित है तथा चोट क्र. 1 से 2 सेमी दूर तथा बाईं ओर स्थित है;

(iii) पिन्ना के दाहिने कर्ण के ऊपरी 1/3 भाग पर 2.5 सेमी x 5 सेमी x पूरी मोटाई का एक घाव;

(iv) दाहिने कंधे से छाती के उरःस्थि–अनविकास्थि क्षेत्र तक एक चोट 25 सेमी x 3.5 सेमी;

(v) बायीं बांह के पिछले हिस्से पर 2 सेमी x 1.5 सेमी x हड्डी की गहराई में एक घाव, रेडियो–अल्ना अस्थियों में अस्थिभंग मौजूद है;

(vi) बायीं जांघ के निचले 1/3 भाग पर पीछे की ओर 2.5 सेमी x 1.5 सेमी x हड्डी तक गहरा एक घाव, जांघ की हड्डी में अस्थिभंग मौजूद है;

(vii) चोट संख्या 6 से 8 सेमी ऊपर एक फटा हुआ घाव, 2 सेमी x 1.5 सेमी x मांसपेशी गहरा;

(viii) पैर के बाएं टखने पर 5 सेमी x 2 सेमी x हड्डी की गहराई पर एक घाव, जिसमें अंतर्निहित हड्डी का दबा हुआ अस्थिभंग है;

(ix) पेट के दाहिने भाग पर नीले रंग का एक घाव।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आंतरिक परीक्षण में, सिर की चोट के नीचे थक्का जमा हुआ खून पाया गया। लौकिक और पार्श्विका अस्थियों में अस्थिभंग था। मस्तिष्क की झिल्ली और मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त था। उरःस्थि–अनविकास्थि अस्थि भी अस्थिभंग थी।

(3) सामान्य जांच के बाद, आरोप पत्र जे.एम.एफ.सी., रायपुर की न्यायालय में दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, रायपुर को सौंप दिया, जहां से इसे नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) द्वारा स्थानांतरित कर प्राप्त किया गया, जिन्होंने विचारण चलाया और उपरोक्त अभियुक्तों को सिद्धदोष पाया एवं दंडादेश दिया।

(4) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने मृतक हरेंद्र की हत्या से इनकार नहीं किया है। इसके अलावा, तारा देवी (अ.सा.15) और बाल किशन (अ.सा.16) की गवाही में आता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को अपीलकर्ताओं ने मृतक पर हमला किया था। शंकर ने उस पर फावड़े से हमला किया और भोला और जग्गा ने डंडे से हमला किया और आरोपी भरत सिंह ने उस पर पत्थरों से हमला किया। जब वे मृतक को बचाने गए थे, शंकर ने बालकिशन के सिर और पीठ पर फावड़े से हमला किया और अपीलकर्ता भरत, जग्गा, शंकर और भोला ने तारा देवी को धक्का दिया। इन गवाहों के इस प्रत्यक्ष साक्ष्य को डॉ.

ए.ए. सिद्दीकी के चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया है, जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया था और उपरोक्त चोटें पाई थीं। इसलिए, इस प्रत्यक्ष और चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर, यह सिद्ध होता है कि मृतक हरेंद्र की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

(5) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अ.सा.15 तारा देवी और अ.सा.16 बालकिशन विश्वसनीय गवाह नहीं हैं, वे मृतक की मां और पिता होने के नाते हितबद्ध गवाह हैं और इसलिए उनकी गवाही संदिग्ध है। यहां तक कि घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी भी संदिग्ध है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वैसे भी उन्होंने मृतक पर किए गए हमले के बारे में सर्वमान्य बयान दिया है और यह सिद्ध नहीं हुआ है कि मृतक पर घातक प्रहार किसने किया, इसलिए मृतक के सिर की चोट को देखते हुए, जिसमें दबा हुआ अस्थिभंग पाया गया था और यह कहा गया कि मृतक को कोमा में ले जाने का कारण था, जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना, आई.पी.सी. की धारा 302/34 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती है और उनका मामला आई.पी.सी. की धारा 304 भाग–II के साथ धारा 34 से आगे नहीं बढ़ेगा।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) उपरोक्त तर्क को समझने के लिए, हमने अ.सा.15 तारा देवी और अ.सा.16 बालकिशन के साक्ष्य का अवलोकन किया है। अ.सा.15 ने बयान दिया है कि उसके बेटे की मृत्यु 28 अगस्त 2000 को हुई थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को, परिवार के सभी सदस्य अपने कमरों में सो रहे थे। वह अपने पति और बेटी के साथ एक कमरे में सो रही थी और मृतक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चला गया था। लगभग 10:30 बजे उसने अपने बेटे के रोने की आवाज़ सुनी। यह सुनकर, वह अपने पति और बेटी के साथ घर से बाहर निकली। अभियुक्त शंकर और भरत के घर उनके घर के पास ही हैं। उसने देखा कि *पीपल के पेड़* के पास शंकर, भोला, जग्गा और भरत सिंह उसके बेटे पर हमला कर रहे थे। शंकर फावड़े से, भोला और जग्गा डंडों से और भरत सिंह पत्थरों से हमला कर रहा था। जब उसका पति हरेन्द्र को बचाने गया तो अभियुक्त शंकर ने उसके पति के सिर और पीठ पर फावड़े से हमला कर दिया और इस दौरान अभियुक्त भरत, जग्गा, शंकर और भोला ने उसे धक्का दे दिया जिससे उसके पैर, बाएं हाथ की कोहनी और बाईं आंख के ठीक नीचे चोटें आईं। उसके शोर मचाने पर गणपत और बाबूलाल वहां आ गए। अनुच्छेद 2 में उसने बयान दिया कि गणपत ने सेंचुरी सीमेंट को फोन किया था जहां से सुरक्षा विभाग की एम्बुलेंस घटनास्थल पर आई और उसके पति को ले गई, जबकि उसका बेटा हरेन्द्र, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, वहीं रह गया। उसने पुलिस को मामले की सूचना दे दी है।

इस गवाह से लंबी प्रति–परीक्षा की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी अभिलेख में नहीं आया है जिससे यह पता चले कि उसने घटना देखी ही नहीं या वह झूठ बोल रही है। हालाँकि, उसने अनुच्छेद 8 में स्वीकार किया है कि केवल शंकर ने ही उसे धक्का दिया था।

(7) बालकिशन (अ.सा.16) ने बयान दिया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को अपने बेटे हरेंद्र की चीख सुनकर वह घर से बाहर आया और देखा कि हरेंद्र को भोला, शंकर, जग्गा और भरत लाठी, पत्थर और रॉड से पीट रहे थे। जब वह बीच–बचाव करने गया तो शंकर ने उसके सिर पर फावड़े से हमला कर दिया जिससे उसके सिर में चोट आई। अपीलकर्ता जगन्नाथ ने उस पर डंडे से हमला किया था और अपीलकर्ता भरत ने उसकी पीठ और कमर पर पत्थर से हमला किया था। हमले के बाद वह बेहोश हो गया। उसे मिशन अस्पताल, तिल्दा में होश आया। उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्दिष्ट किया गया जहां वह 10–15 दिनों तक भर्ती रहा। प्रति–परीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को आरोपियों द्वारा रॉड रखने के संबंध में बयान दिया था और यह भी कहा था कि आरोपी भरत ने उसकी पीठ और कमर पर पत्थरों से हमला किया था उपरोक्त के अतिरिक्त, इस गवाह की प्रति–परीक्षा में कोई प्रतिकूल बात नहीं लाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) जहां तक घटनास्थल पर इन गवाहों की मौजूदगी का सवाल है, बेशक, ये दोनों गवाह आहत साक्षी हैं और उन्हें डॉक्टर के पास चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था, इसलिए घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता है। जहां तक मृतक के पिता और माता होने और इस तरह हितबद्ध गवाह होने के कारण इन गवाहों की गवाही का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि रिश्ता किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि रिश्ता वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाता और एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाता है। अगर झूठे आरोप लगाने की दलील दी जाती है तो नींव रखनी होगी। ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए सबूतों का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है, यानी उनके सबूतों की बहुत सावधानी और सतर्कता से जांच की जानी चाहिए। ***कृपया एआईआर 2007 एस.सी. 1299, कालेगुरा पद्मा राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का अवलोकन करें।"***

(9) इन दोनों गवाहों की बारीकी से जाँच करने के बाद, यह स्पष्ट है कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्हें भी उक्त घटना में चोटें आई थीं। बचाव पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति अभिलेख पर नहीं ला सका है

जिसके आधार पर उनकी गवाही को खारिज किया जाए। इन दोनों गवाहों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच के बाद, यह सिद्ध हो गया है कि सभी 4 अपीलकर्ताओं ने अपीलकर्ताओं ने प्रश्नाधीन अपराध में सहभागिता थी और उस समय अपीलकर्ता शंकर के हाथ में फावड़ा था और दो अन्य अपीलकर्ता यानी भोला और जग्गा के हांथो में डंडा और भरत सिंह पत्थर लिए हुए थे और वे सभी मृतक पर हमला कर रहे थे। इसलिए, इन दोनों गवाहों के साक्ष्य से प्रश्नाधीन अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों की सहभागिता पूरी तरह से सिद्ध हो गई है। उनके साक्ष्य की पुष्टि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के चिकित्सकीय साक्ष्य और अपीलकर्ता शंकर, टी. जगन्नाथ उर्फ जग्गा और भोलानाथ उर्फ मोटाली द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए ज्ञापन से भी होती है, जिसके आधार पर शंकर के कब्जे से एक फावड़ा और उपरोक्त दोनों अपीलकर्ताओं के कब्जे से दो डंडे जब्त किए गए। एफ.एस.एल., रायपुर, प्रदर्श पी/38 की रिपोर्ट के अनुसार, उन वस्तुओं पर खून के धब्बे पाए गए थे, इसलिए, संबंधित अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता के साक्ष्य अभिलेख पर स्पष्ट रूप से अंकित हैं और अ.सा.15 और अ.सा.16 के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) अब प्रश्न यह उठता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, विशेषकर अ.सा.15 और अ.सा.16 तथा डॉक्टर के साक्ष्यों के आधार पर, अभियुक्तों के विरुद्ध कौन सा अपराध बनता है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य यह नहीं बता सके कि मृतक को घातक चोट किसने पहुँचाई और मृतक के सिर पर केवल एक चोट, जिससे अस्थिभंग हुआ, घातक थी। इसलिए, सभी अभियुक्तों को मृत्यु कारित करने के सामान्य आशय के किसी भी साक्ष्य के अभाव में धारा 302/34 आई.पी.सी. के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता और मृतक के शरीर पर मिली चोटों की प्रकृति को देखते हुए केवल उनके जानने की प्रवृत्ति को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उनके द्वारा किया गया अपराध धारा 304 भाग II/34 आई.पी.सी. से आगे नहीं जाता। उन्होंने ***पंचैया एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 1994 सप (2) एससीसी 235 और सरमन एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1993 सप (2) एससीसी 356*** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सन्दर्भ दिया।

(11) *पंचैया (पूर्वोक्त)* के मामले में, मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर साइकिल की चेन और डंडे से छह चोटें आईं। पहली चोट सिर के बीच में 2 सेमी x 1 सेमी का और हड्डी तक गहरा घाव था। दूसरी चोट दाहिने हाथ के अग्र पार्श्व पहलू पर 23 सेमी x 9 सेमी माप की एक काले रंग की चोट (एक्सहाइमोसिस) थी जो दाहिने कंधे के जोड़ के पहलू से फैली हुई थी। तीसरी चोट फिर से बाएं ऊपरी बांह के अंदरूनी

हिस्से पर 10 सेमी x 9 सेमी माप की एक काले रंग की चोट (एक्सहाइमोसिस) थी जो बाएं कोहनी के जोड़ तक थी। चौथी चोट बाएं घुटने की हड्डी पर 3 सेमी x 2 सेमी माप की एक काले रंग की खरोंच थी। पांचवीं चोट भी चोट क्र. 4 के ठीक बीच में काले रंग की खरोंच थी। डॉक्टर ने कहा कि सिर की चोट क्र. 1 के ठीक नीचे खून का रिसाव हुआ था। उन्होंने कहा कि मौत सदमे और रक्तस्राव के कारण हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मस्तिष्क और वाहिकाओं को चोट बाहरी चोट क्र. 1 के कारण लगी थी। चोट क्र. 1, 4 और 5 साइकिल की चेन से टक्कर लगने के कारण लगी होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि चिकित्सकीय साक्ष्य से पता चलता है कि सिर पर केवल एक ही चोट थी, जो गंभीर थी और अन्य चोटें केवल खरोंच के निशान थे और अगर वास्तव में अपीलकर्ताओं का आशय मौत का कारण बनना होता, तो वे और भी गंभीर चोटें पहुंचा सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सिर पर केवल एक ही चोट लगी थी, जिससे दुर्भाग्य से खून का रिसाव हुआ और मस्तिष्क को चोट पहुंची और इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक की मौत का कारण बनने के लिए आरोपी व्यक्तियों का सामान्य आशय था। हालांकि, पहुंचाई गई चोटों से पता चलता है कि उन्हें केवल जानकारी थी, ऐसी स्थिति में वे धारा 304 भाग II के सहपठित धारा 34 आई.पी.सी. के तहत दंडनीय हैं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) *सरमन के मामले (पूर्वोक्त)* में, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर, अ.सा.19 ने 17 चोटों का उल्लेख किया था। उनमें से चोट क्र. 1, 3, 10, 11 और 14 को चीरे गए घाव के रूप में वर्णित किया गया था। यद्यपि इनसे रक्तस्राव हुआ था, लेकिन कोई अन्य क्षति नहीं देखी गई थी। यह केवल चोट क्र. 15 थी, जिसके परिणामस्वरूप पार्श्विका हड्डी का एक दबा हुआ अस्थिभंग हुआ तथा झिल्ली में छिद्र हुआ। हालांकि डॉक्टर ने सामान्य तौर पर कहा था, मृत्यु का कारण कई चोटें थीं, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि चोट क्र. 15 पर, उन्होंने पार्श्विका हड्डी का एक दबा हुआ अस्थिभंग देखा, जो व्यक्तिगत रूप से मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि किस आरोपी ने घातक चोट पहुंचाई। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने सामान्य तौर पर यह राय देते हुए कि कई चोटों के कारण मौत हुई, विशेष रूप से कहा कि दबे हुए अस्थिभंग व्यक्तिगत रूप से मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष ने यह नहीं बताया कि किस आरोपी ने घातक चोट पहुंचाई है, इसलिए, इन परिस्थितियों में सभी आरोपियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका मृतक की हत्या करने का सामान्य हेतुक था, हालांकि उन्हें यह पता हो सकता है कि दिए गए प्रहार से मृत्यु होने की संभावना थी

और यदि किसी एक आरोपी ने सामान्य उद्देश्य को पार कर लिया और अपनी मर्जी से काम किया, तो यह उसका व्यक्तिगत कृत्य होगा लेकिन इस बात के सबूत के अभाव में कि किसने ऐसा किया, आरोपी अपीलकर्ता की धारा 302/149 के तहत दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती और आजीवन कारावास की सजा को धारा 304 भाग II/149 के तहत 7 साल की सजा में बदल दिया गया।

(13) वर्तमान मामले में भी, हालांकि मृतक के शरीर पर 9 बाहरी चोटें पाई गईं, लेकिन डॉ. ए.ए. सिद्दीकी (अ.सा.20), जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया, अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/34 के माध्यम से राय दी कि मौत का कारण सिर की चोट के परिणामस्वरूप कोमा था। अ.सा.15 और अ.सा.16 के साक्ष्य से पता चलता है कि वे यह गवाही नहीं दे सके कि मृतक के सिर पर घातक चोट किसने पहुंचाई, जो कि चोट क्र. 2 थी, जिसके तहत लौकिक और पार्श्विका हड्डी और मस्तिष्क की झिल्ली का दबा हुआ अस्थिभंग था और मस्तिष्क का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए मृतक की मृत्यु का कारण बनने के सामान्य आशय के किसी भी सबूत के अभाव में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सभी अभियुक्तों को मृतक की हत्या करने का सामान्य आशय रखने वाला नहीं कहा जा सकता है, हालांकि उन्हें पता था कि दिए गए प्रहार से मृत्यु होने की संभावना थी। यदि अभियुक्तों में से किसी ने भी समान आशय का उल्लंघन किया हो और अपनी इच्छा से कार्य किया हो, तो यह उसका व्यक्तिगत कृत्य होगा, लेकिन यह स्पष्ट प्रमाण न होने पर कि ऐसा किसने किया, सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि संभव नहीं होगी। लेकिन चूँकि इस बात के प्रमाण हैं कि उन्हें ज्ञात था कि दिए गए प्रहार से मृत्यु होने की संभावना है, जिसके लिए उनका समान आशय था, इसलिए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–II सहपठित धारा 34 के तहत सिद्धदोष पाया गया जाएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से सफल होती है। अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत लगाई गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। इसके बजाय, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II/34 के अंतर्गत सिद्धदोष पाया गया जाता है और 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। हालाँकि, अपीलकर्ता भरत, शंकर और टी. जगन्नाथ उर्फ जग्गा को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को बरकरार रखा जाता है। दंडादेशों साथ–साथ चलाने का निर्देश भी बरकरार रखा जाता है।

अपीलकर्ता, अपीलार्थीगण को दी गई सजा को उनके द्वारा पूर्व में भुगती गई अवधि की सजा से मुजरा किए जाने के हकदार होंगे।

सही/–
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही/–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Shubham Verma

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur